

धारा 23 : व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है

- (1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :-
- (क) कोई व्यक्ति, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या जिन्हें कर से पूर्ण रूप से छूट-प्राप्त है;
- (ख) कोई कृषक, भूमि की खेती की उपज की पूर्ति के विस्तार तक;
- ¹[(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी गई हो।]

1 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उपधारा (2) प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017) प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :-

“(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।”